इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208] भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल 2012—वैशाख 5, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 2455-163-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20 अप्रैल 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१२.

मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, २०१२.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

२. परिभाषाएं.

३. विद्युत् के विक्रय या उपभोग पर शुल्क का उद्ग्रहण.

४. अपवाद.

५. छूट देने की शक्ति.

६. वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाइजी द्वारा उपभोक्ताओं से शुल्क की प्रतिपूर्ति.

७. शुल्क तथा ब्याज की वसूली.

८. लेखाओं तथा अभिलेखों का रखा जाना और विवरणियों का दिया जाना.

९. निरीक्षक की नियुक्ति.

१०. विवादों का निपटारा.

११. शास्तियां.

१२. अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति.

१३. नियम बनाने की शक्ति.

१४. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

अनुसूची

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१२.

मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, २०१२.

[दिनांक २० अप्रैल, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २५ अप्रैल, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत् के विक्रय या उपभोग पर शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, २०१२ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "केप्टिव उत्पादक संयंत्र" से अभिप्रेत है, ऐसा शक्ति संयंत्र जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के लिए प्रारंभिक रूप से विद्युत् उत्पादन के लिए स्थापित किया गया है और इसमें सम्मिलित है ऐसा शक्ति संयंत्र (प्लांट) जो किसी सहकारी सोसाइटी या व्यक्तियों की संथा द्वारा ऐसी सहकारी सोसाइटी या संथा के सदस्यों के उपयोग हेतु प्रारंभिक रूप से विद्युत् उत्पादन के लिए स्थापित किया गया है;

(ख) ''उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जिसे किसी अनुज्ञप्तिधारी या सरकार द्वारा या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जनता को विद्युत् प्रदाय करने के कारबार में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत् प्रदाय की जाती है और उसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है जिसके परिसरों को तत्समय विद्युत् प्राप्त करने के लिए यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति के संकर्मों से जोड़ा गया हो;

(ग) ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है, अपने प्रदाय के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत् प्रदाय करने के लिए वितरण प्रणाली का संचालन तथा उसका संधारण करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी;

(घ) ''विद्युत् निरीक्षक'' से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६) की धारा १६२ की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और इसमें मुख्य विद्युत् निरीक्षक भी सम्मिलित है;

(ङ) ''विद्युत् उपक्रम'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसा उपक्रम जो मध्यप्रदेश में, किसी क्षेत्र में विद्युत् का प्रदाय करने के कारबार में लगा हुआ हो, और इसमें विद्युत् के किसी अन्य वितरक को थोक में विद्युत् का प्रदाय करने के कारबार में लगा हुआ कोई उपक्रम सम्मिलित है;

(च) ''विद्युत्'' से अभिप्रेत है, ऐसी विद्युत् ऊर्जा, जिसका किसी प्रयोजन के लिए पारेषण, उत्पादन, प्रदाय, व्यापार या उपभोग किया गया हो;

(छ) ''विद्युत् व्यापारी'' से अभिप्रेत है,ऐसा व्यक्ति जिसे विद्युत् अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६) की धारा १२ के अधीन विद्युत् का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई हो;

(ज) ''फ्रेन्चाइजी'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके विद्युत् प्रदाय क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र विशेष में उसकी ओर से विद्युत् का वितरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(झ) ''उत्पादक कम्पनी'' से अभिप्रेत है, कोई कम्पनी या निगमित निकाय या व्यक्तियों की संथा या निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो या कृत्रिम विधिक व्यक्ति जिसका मध्यप्रदेश में कोई उत्पादन स्टेशन हो या जो उसे संचालित करता हो या उसका संधारण करता हो;

(ञ) ''उत्पादन स्टेशन'' या ''स्टेशन'' से अभिप्रेत है, विद्युत् उत्पादन करने वाले कोई स्टेशन जिसमें सम्मिलित हैं, कोई ऐसा भवन और संयंत्र जिसमें रूपांतरण करने वाला ट्रान्सफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल्स या अन्य संबद्ध उपस्कर, यदि कोई हों, उस आशय के लिए उपयोग किए जाते हों और उनके स्थल, स्थल जो उत्पादन स्टेशन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित हो और कोई स्थल और कोई भवन जिसे उत्पादन स्टेशन संचालित करने वाले कर्मचारिवृन्द के आवास के लिए उपयोग किया जाता हो और जहां जल शक्ति से विद्युत् उत्पन्न की जाती हो, इसमें सम्मिलित है पैन स्टाक्स, हैड व टेल वर्क, मुख्य और नियंत्रण करने वाले जलाशय, डैम्स तथा अन्य तरल विज्ञान या जल गति शास्त्र के कार्य किन्तु किसी भी दशा में सब स्टेशन सम्मिलित नहीं हैं;

(ट) ''निरीक्षक'' से अभिप्रेत है, धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(ठ) ''अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसे विद्युत् अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६) की धारा १४ के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई हो;

(ड) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर गठित की गई नगर परिषद्, नगरपालिका परिषद् नगरपालिक निगम, पंचायत या कोई अन्य प्राधिकारी जिसे किसी क्षेत्र के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा विधिक रूप से अधिकार दिए गए हों अथवा सौंपे गए हों;

(ढ) ''खुली पहुंच'' से अभिप्रेत है, किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता या मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार उत्पादन में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा पारेषण लाइनों या वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या प्रणाली से सहबद्ध सुविधाओं का उपयोग करने के लिए किए गए विभेद रहित उपबंध;

(ण) ''व्यक्ति'' में सम्मिलित है, कोई कम्पनी या निगमित निकाय या व्यक्तियों की संथा या निकाय, चाहे निगमित हो या न हो या कृत्रिम विधिक व्यक्ति;

(त) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(थ) ''उत्पादक'' से उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये जाएं कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सौ वोल्ट से अधिक की वोल्टता पर विद्युत् का उत्पादन करता हो और उस दशा में जबकि जनरेटरों को किराए पर लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विद्युत् का उत्पादन किया जाता हो तो जनरेटरों के स्वामी को उत्पादक समझा जाएगा.

(२) किसी ऐसी अभिव्यक्ति का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुई है किन्तु परिभाषित नहीं की गई है और जो विद्युत् अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६) में परिभाषित की गई है, वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उसके लिए दिया गया है.

विद्युत् के विक्रय या उपभोग पर शुल्क का उद्ग्रहण.

३. (१) धारा ४ में विनिर्दिष्ट अपवादों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी / फ्रेन्चाइजी उपभोक्ताओं को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत् की यूनिटों पर, अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किए गए शुल्क का विहित समय पर तथा विहित रीति में राज्य सरकार को प्रत्येक माह संदाय करेगा.

(२) राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत् का उपभोग करने वाला प्रत्येक उपभोक्ता, उसके द्वारा उपभुक्त विद्युत् यूनिटों पर अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किए गए शुल्क का विहित समय पर और विहित रीति में राज्य सरकार को प्रत्येक माह संदाय करेगा.

(३) प्रत्येक उत्पादक कम्पनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र और उत्पादक मध्यप्रदेश राज्य के भीतर उसके स्वयं के द्वारा उपभुक्त या उपभोक्ताओं को बेची गई विद्युत् यूनिटों पर अनुसूची के भाग-ग में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किए गए शुल्क का राज्य सरकार को संदाय करेगा :

परन्तु किसी ऐसी उत्पादक कम्पनी द्वारा, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार की कम से कम इक्यावन प्रतिशत इक्विटी हो, बेची गई / प्रदाय की गई या उपभुक्त विद्युत् के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होगा.

अपवाद.

४. धारा ३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी विद्युत् के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होगा जो,—

(एक) भारत सरकार को, उस सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए बेची गई या प्रदाय की गई हो;

(दो) भारत सरकार को, या किसी रेल्वे कम्पनी को भारत सरकार द्वारा प्रशासित किसी रेल्वे के सन्निर्माण, संधारण या संचालन में उपभोग किए जाने के लिए बेची या प्रदाय की गई हो;

(तीन) राज्य सरकार को, उस सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए बेची या प्रदाय की गई हो;

(चार) किसी स्थानीय प्राधिकारी को, सार्वजनिक मार्ग के लैम्पों में अथवा ऐसे प्राधिकारी द्वारा संधारित किसी बाजार के स्थानों या लोक समागम के अन्य स्थानों में के लैम्पों में उपभोग किए जाने के लिए बेची या प्रदाय की गई हो;

(पांच) किसी कृषक को, उसकी भूमि की सिंचाई के लिए पानी पम्प करने में या चारा काटने में या उसकी भूमि की उपज की पेराई करने अथवा उसे साधित करने (ट्रीटिंग) में उपभोग किए जाने के लिए बेची गई हो अथवा उसके द्वारा उपयोग में लाई गई हो;

(छह) नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकायों के मलवहन शोधन संयंत्रों को बेची गई हो;

(सात) नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों की सार्वजनिक जल योजनाओं को बेची गई हो.

५. जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि,— **छूट देने की शक्ति.**

(एक) राज्य में किसी विशेष उद्योग या उद्योगों के वर्ग की स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से; या

(दो) किसी उद्योग या उद्योगों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए; या

(तीन) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से,

लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जिन्हें कि वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, अध्यधीन रहते हुए,—

(क) शुल्क के संदाय से—

(एक) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उसके फ्रेन्चाइजी को ऐसे उद्योग को, उसके प्रयोजनों के लिए बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत् के संबंध में ;

(दो) किसी केप्टिव उत्पादक संयंत्र को केप्टिव उत्पादक संयंत्र का स्वामित्व रखने वाले ऐसे उद्योग द्वारा उपभुक्त विद्युत् के संबंध में;

(तीन) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाइजी को, व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को उपभोग के लिए तथा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत् के संबंध में;

(चार) किसी खुली पहुंच वाले उपभोक्ता को जो मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से विद्युत् अभिप्राप्त कर रहा हो तथा उपभोग कर रहा हो;

पूर्णत: या अंशत: छूट दे सकेगी.

(ख) ऐसी किसी अधिसूचना को रद्द कर सकेगी.

वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाइजी द्वारा उपभोक्ताओं से शुल्क की प्रतिपूर्ति.

६. विद्युत् अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाइजी ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, विद्युत् के उपभोग के संबंध में, वह सम्पूर्ण शुल्क या उसका कोई भाग, जो ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाइजी द्वारा धारा ३ के अधीन देय हो, उपभोक्ता से अधिभार के रूप में वसूल कर सकेगा.

शुल्क तथा ब्याज की वसूली.

७. (१) शुल्क की उस रकम पर, जो शोध्य हो तथा असंदत्त हो, ऐसी दर से तथा ऐसी परिस्थितियों में, जैसी कि विहित की जाएं, ब्याज लगेगा.

(२) वसूली के किसी भी अन्य ढंग पर, जो कि राज्य सरकार को उपलब्ध हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी ऐसा शुल्क, जो संदाय के लिए शोध्य हो जाए, तथा उस पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज, यदि कोई हो, उसी रीति में वसूल किया जा सकेगा जिस रीति में कि भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है.

लेखाओं तथा अभिलेखों का रखा जाना और विवरणियों का दिया जाना.

८. प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाइजी और प्रत्येक उत्पादक, केप्टिव उत्पादक संयंत्र, उत्पादक कम्पनी तथा खुली पहुंच के माध्यम से विद्युत् अभिप्राप्त करने वाला उपभोक्ता पुस्तकें, लेखे तथा अभिलेख, ऐसे प्ररूप में रखेगा, तथा ऐसी विवरणियां ऐसे समयों पर तथा ऐसे प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाए.

निरीक्षक की नियुक्ति.

९. (१) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी.

(२) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षक इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए कर्तव्यों का पालन करेगा तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा.

(३) प्रत्येक ऐसा निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा.

विवादों का निपटारा.

१०. यदि विद्युत् के उपभोक्ता और वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादक या अन्य के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तो यह निपटारे के लिए विद्युत् निरीक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा. ऐसे निपटारे की अपील राज्य सरकार को निर्दिष्ट की जाएगी.

शास्तियां.

११. यदि कोई फ्रेन्चाइजी, उत्पादक, केप्टिव उत्पादक संयंत्र, उत्पादन कम्पनी या उपभोक्ता जिससे धारा ८ के अधीन ऐसा किया जाना अपेक्षित है,—

(क) धारा ८ के अधीन विरचित किए गए किसी नियम के अनुसार किन्हीं पुस्तकों, लेखाओं या अभिलेखों को रखने में या विवरणियां प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

(ख) किसी निरीक्षक को, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन करने या शक्तियों का प्रयोग करने में साशय बाधा पहुंचाता है,

तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

१२. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में संशोधन कर सकेगी और तदोपरांत उक्त अनुसूची तद्नुसार संशोधित हो जाएगी : **अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति.**

परन्तु कोई भी अधिसूचना, जिसके द्वारा शुल्क की दर में वृद्धि की गई है, तब तक जारी नहीं की जाएगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने के अपने आशय की ऐसी पूर्व सूचना, जैसी कि राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर दी जाती.

(२) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी और मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) की धारा २४-क के उपबंध उसको उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे किसी नियम को लागू होते हैं.

१३. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. **नियम बनाने की शक्ति.**

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे—

(क) धारा ३ के अधीन शुल्क के संदाय का समय तथा रीति;

(ख) धारा ६ के अधीन वे निर्बंधन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक उपभोक्ता के संबंध में देय सम्पूर्ण शुल्क या उसका भाग वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाइजी द्वारा वसूल किया जा सकेगा तथा ऐसी वसूली की रीति;

(ग) धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन वह दर जिस पर तथा वे परिस्थितियां जिनमें ब्याज प्रभारित किया जा सकेगा;

(घ) वे प्ररूप जिनमें पुस्तकें तथा लेखे रखे जा सकेंगे, विवरणियां दी जा सकेंगी और वह समय जिन पर तथा वे प्राधिकारी जिन्हें धारा ८ के अधीन ऐसी विवरणियां दी जा सकेंगी;

(ङ) वह रीति जिसमें जनरेटर रजिस्ट्रीकृत किए जाने हैं तथा ऐसे रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण के लिए देय फीस;

(च) कोई भी अन्य विषय जिसके कि लिए इस अधिनियम में कोई उपबंध न किया गया हो और जिसके कि लिए उपबंध, राज्य सरकार की राय में, आवश्यक हो.

(३) इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे.

(४) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन नियम बनाने में, राज्य सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि उसका (नियम का) भंग ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, दण्डनीय होगा.

१४. किसी ऐसी बात के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका इस प्रकार किया जाना आशयित है, तो उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.**

निरसन तथा व्यावृत्ति. १५. (१) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(क) निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई किसी कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई जिसके अंतर्गत कोई नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, आदेश या दिए गए या जारी किए गए नोटिस या कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या प्रदान की गई छूट या कोई निदेश आता है, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी;

(ख) निरसित अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम धारा १३ के अधीन नियम बनाए जाने तक प्रभावी रहेंगे;

(ग) निरसित अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व जारी किये गए समस्त निदेश तब तक निरंतर लागू रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन निदेश जारी नहीं कर दिए जाते.

अनुसूची

[देखिए धारा ३(१)]

भाग—क

नीचे दर्शित प्रयोजनों के लिए बेची गई/प्रदाय की गई विद्युत् :—

अनुक्रमांक	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभुक्त विद्युत् (यूनिट में)	प्रतिमाह विद्युत् की प्रति यूनिट टैरिफ की प्रतिशत में शुल्क की दर
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	घरेलू उपभोक्ता	१०० यूनिट तक	९ प्रतिशत
		१०० यूनिट से अधिक २०० यूनिट तक	१२ प्रतिशत
		२०० यूनिट से अधिक	१५ प्रतिशत
२.	गैर घरेलू उपभोक्ता	५० यूनिट तक	९ प्रतिशत
		५० यूनिट से अधिक	१५ प्रतिशत
३.	खानें [सीमेंट उद्योगों की बद्ध खानों (केप्टिव माइन्स) से भिन्न खान].		४० प्रतिशत
४.	सीमेंट उद्योग (जिसके अंतर्गत उसकी बद्ध खानें भी हैं)		१५ प्रतिशत
५.	लो टेन्शन उद्योग		९ प्रतिशत

६.	१५० अश्व शक्ति (हार्सपावर) तक के स्टोन क्रेशर.	९ प्रतिशत
७.	छोटे इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल तथा स्पंज आयरन संयंत्र.	९ प्रतिशत
८.	पावर लूम, आटा चक्कियां, आयल एक्सपेलर, थ्रेशर एवं कृषि प्रसंस्करण के उपयोग में आने वाली वैसी ही अन्य मशीनरी.	९ प्रतिशत
९.	टैक्सटाईल मिलें, वीविंग मिलें तथा स्पीनिंग मिलें.	९ प्रतिशत
१०.	हाईटेंशन औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक, शापिंग माल को सम्मिलित करते हुए. १५० हार्सपावर से अधिक भार वाला तथा खान के बाहर स्थित तथा उससे लगा हुआ स्टोन क्रेशर.	१५ प्रतिशत :

परन्तु यदि किसी प्रयोजन के लिए उपभोग किए जाने के हेतु बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत् यथास्थिति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाइजी की सहमति के बिना, उपभोग के लिए या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन जिसके लिए कि शुल्क की कोई उच्चतर दर प्रभार्य है, उपभुक्त की जाने के हेतु या तो पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाई जाती है, तो बेची गई या प्रदाय की गई सम्पूर्ण विद्युत् पर लागू उच्चतर दर प्रभार्य होगी.

भाग—ख

[देखिए धारा ३ (२)]

११.	राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत् के उपभोग के लिए.	शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जाएंगी मानो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् प्रदाय की गई हो.

भाग-ग

[देखिए धारा ३ (३)]

१२.	उत्पादन कम्पनी, उत्पादक तथा केप्टिव उत्पादक संयंत्र द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले वितरण तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत्.	५ पैसे प्रति यूनिट

(१)	(२)	(३)	(४)
१३.	उत्पादन कम्पनी, उत्पादक तथा केप्टिव उत्पादक संयंत्र द्वारा राज्य में के अन्य किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत्.		शुल्क की दरें उसी प्रकार संगणित की जाएंगी मानो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस उपभोक्ता को विद्युत् प्रदाय की गई हो.
१४.	केप्टिव उत्पादक संयंत्र, उत्पादक या उत्पादन कम्पनियों द्वारा उनके सहायक उपकरण (आक्जीलरी) के उपभोग के लिए तथा उनके स्वयं के उपभोग हेतु उपभुक्त विद्युत् के लिए.		टैरिफ का १५ प्रतिशत जो कि लागू होता यदि विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई होती.

स्पष्टीकरण :—इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए—

(क) "मास" से अभिप्रेत है, ऐसी कालावधि जो कि विहित की जाए और ऐसी कालावधि के विहित किए जाने तक, बिलिंग मास;

(ख) "खान" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी खान जिसको खान अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ३५) लागू होता है और उसके अन्तर्गत है किसी खान में स्थित या उससे लगा ऐसा परिसर या मशीनरी और जिसका उपयोग खनिज को चूरा करने (क्रशिंग), उसका प्रसंस्करण करने, अभिक्रियान्वयन करने या उसका परिवहन करने के लिए किया जाता हो;

(ग) विद्युत् शुल्क की संगणना एक मास में टैरिफ की वास्तविक प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी और ५० पैसे या उससे अधिक के किसी भाग को उसके अगले उच्चतर रुपयों तक पूर्णांकित किया जाएगा और ५० पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जाएगा;

(घ) "टैरिफ" से अभिप्रेत है, ऊर्जा की प्रति यूनिट दर, जो कि उपभोग के विभिन्न प्रवर्गों के लिए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर लागू की जाए;

(ङ) "उपभोक्ता श्रेणी" से अभिप्रेत है, उपभोक्ता की श्रेणी जैसी कि मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ आदेश में यथापरिभाषित है.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 2456-163-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 of 2012.

THE MADHYA PRADESH VIDYUT SHULK ADHINIYAM, 2012

TABLE OF CONTENTS

Section's :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Levy of duty on sale or consumption of electricity.
4. Exceptions.
5. Power to exempt.
6. Reimbursement of duty from consumer by Distribution licensee or Franchisee.
7. Recovery of duty and interest.
8. Keeping of accounts and records and furnishing returns.
9. Appointment of Inspector.
10. Settlement of disputes.
11. Penalties.
12. Power of State Government to amend Schedule.
13. Power to make rules.
14. Protection of action taken in good faith.
15. Repeal and Saving.

The Schedule

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 of 2012.

THE MADHYA PRADESH VIDYUT SHULK ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governor on the 20th April, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th April, 2012.]

An Act to provide for the levy of a duty on sale or consumption of electricity in the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty third year of the Republic of India as follows:—

Short title extent and commencement.

1. (1) This Act, may be called the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) **"Captive generating plant"** means a power plant set up by any person to generate electricity primarily for his own use and includes a power plant set up by any cooperative society or association of persons for generating electricity primarily for use of members of such co-operative society or association;

(b) **"consumer"** means any person who is supplied with electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under this Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a licensee, the Government or such other person, as the case may be;

(c) **"Distribution Licensee"** means a licensee authorized to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply;

(d) **"Electrical Inspector"** means a person appointed as such by the State Government under sub-section (1) of Section. 162 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and also includes Chief Electrical Inspector;

(e) **"electrical undertaking"** means any undertaking engaged in the business of supplying electricity in any area in Madhya Pradesh and includes an undertaking engaged in the business of supplying electricity in bulk to another distributor of electricity;

(f) **"electricity"** means electrical energy generated, transmitted, supplied, traded or consumed for any purpose;

(g) **"electricity trader"** means a person who has been granted a licence to undertake trading in electricity under Section 12 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);

(h) **"franchisee"** means a person authorized by a distribution licensee to distribute electricity on his behalf in a particular area within his area of supply;

(i) **"Generating company"** means any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated' or not, or artificial judicial person, which owns or operates or maintains a generating station in Madhya Pradesh;

(j) **"Generating station" or "station"** means any station for generating electricity, including any building and plant with stepup transformer, switch-gear, switch yard, cables or other appurtenant equipment, if any, used for that purpose and the site thereof; a site intended to be used for generating station, and any building used for housing the operating staff of a generating station, and where electricity is generated by water-power, includes penstocks, head and tail works, main and regulating reservoirs, dams and other hydraulic works, but does not in any case include any sub-station;

(k) **"Inspector"** means a person appointed as such by the State Government under sub-section (1) of Section 9;

(l) **"licensee"** means a person who has been granted a license under section 14 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);

(m) **"local authority"** means any Nagar Parishad, Municipal Council, Municipal Corporation, Panchayat constituted at the village, intermediate and district levels or other authority legally entitled to, or entrusted by the State Government with, the control or management of any area;

(n) **"open access"** means the non-discriminatory provision for the use of transmission lines or distribution system or associated facilities with such lines or system by any licensee or consumer or a person engaged in generation in accordance with the regulations specified by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(0) **"person"** shall include any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial judicial person;

(p) **"prescribed"** means prescribed by rules made by the State Government under this Act;

(q) **"producer"** means, subject to such rules as may be made by the State Government for registration of generators, a person who generates electricity at a voltage exceeding hundred volts and, in the event of generation of electricity by a hire of generator, the owner of generator shall be deemed to be the producer.

(2) Any expression used but not defined in this Act and defined in the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) shall have the meaning assigned to it in that Act.

Levy of duty on sale or consumption of electricity

3. (1) Subject to the exceptions specified in section 4, every Distribution Licensee/ franchisee shall pay every of month to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner a duty calculated at the rates specified in Part-A of the Schedule on the units of electricity sold or supplied to consumers.

(2) Every consumer consuming electricity obtained through open access from outside the state shall pay every month to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner a duty calculated at the rates specified in Part-B of the Schedule on the units of electricity consumed by him .

(3) Every Generating Company, Captive Generating Plant and producer shall pay every month to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner a duty calculated at the rates specified in Part-C of the Schedule on the units of electricity consumed by himself or sold to consumers within the State of Madhya Pradesh:

Provided that no duty shall be payable in respect of electricity sold/supplied or consumed by any Generating Company in which the Government of Madhya Pradesh has at least fifty one percent equity.

Exceptions.

4. Notwithstanding anything contained in Section 3, no duty shall be payable in respect of electricity :—

(i) sold or supplied to the Government of India for consumption by that Government;

(ii) sold or supplied to the Government of India or a railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway administered by the Government of India;

(iii) sold or supplied to the State Government for consumption by that Government;

(iv) sold or supplied to any local authority for consumption in public street lamp or lamps in any market places or other places of public resort maintained by such authority;

(v) sold to or used by an agriculturist for consumption in pumping of water for irrigation of his land or in chaff cutting or in crushing or treating the produce of his land;

(vi) sold to sewage treatment plants of urban and rural local bodies;

(vii) sold to public water schemes of urban and rural local bodies.

Power to exempt.

5. Where the State Government is of opinion that —

(i) in order to encourage the establishment of any particular industry or class of industries in the State; or

(ii) having regard to the particular circumstances of any industry or class of industries; or

(iii) in order to extend facilities to such persons or class of persons and for such purposes as the State Government may, by notification specify;

it is necessary or expedient to do so, in public interest, it may by notification and subject to such conditions, if any, as it may specify in the notification,—

(a) exempt from payment of duty in whole or in part to—

(i) any Distribution Licensee or franchisee in respect of electricity sold or supplied to such industry for the purposes thereof;

(ii) any Captive Generating Plant in respect of the electricity consumed by such industry owning the Captive Generating Plant;

(iii) any Distribution Licensee or franchisee in respect of electricity sold or supplied for consumption by persons or class of persons and for purposes specified in the notification;

(iv) any open access consumer obtaining and consuming electricity from outside the State of Madhya Pradesh.

(b) cancel any such notification.

Reimbursement of duty from consumer by Distribution Licensee or Franchisee.

6. Notwithstanding anything to the contrary in the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), a Distribution Licensee or Franchisee may, subject to such limitations and conditions and in such manner as may be prescribed, recover from a consumer by way of surcharge the whole or part of the duty payable by such Distribution Licensee or Franchisee under Section 3 in respect of consumption of electricity.

Recovery of duty and interest.

7. (1) The amount of duty due and remaining unpaid shall carry interest at such rate and in such circumstances as may be prescribed.

(2) Without prejudice to any other mode of recovery available to the State Government, any duty falling due for payment and the interest accruing thereon, if any, may be recovered in the same manner as an arrear of land revenue.

Keeping of accounts and records and furnishing returns.

8. Every Distribution Licensee or Franchisee and every producer, Captive Generating Plant, Generating Company and consumer obtaining electricity through open access shall keep in such form books, accounts and records and furnish such returns at such times and to such authorities as may be prescribed.

Appointment of Inspector.

9. (1) The State Government may, by general or special order, appoint any officer to be Inspector for the purposes of this Act.

(2) Every Inspector so appointed shall perform the duties and exercise powers for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(3) Every such Inspector shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Settlement of disputes.

10. If any dispute arises between consumer and distribution licensee of electricity or the producer or others, it shall be referred to the Electrical Inspector for settlement. Appeal of such settlement shall be referred to the State Government.

Penalties .

11. If any Franchisee, Producer, Captive Generating Plant, Generating company or consumer who is required to do so under Section 8,—

(a) fails to keep any books, accounts or records or to furnish returns in accordance with any rule framed under Section 8; or

(b) intentionally obstructs an Inspector in the performance of his duties or the exercise of his powers under this Act or the rules made .thereunder, he shall be punishable with a fine which may extend to five thousand rupees.

Power of State Government to amend Schedule

12. (1) The State Government may, by notification, amend the Schedule and thereupon the said Schedule shall stand amended accordingly:

Provided that no notification, by which the rate of duty is enhanced, shall be issued without giving in the Madhya Pradesh Gazette such previous notice as the State Government may consider reasonable of its intention to issue such notification.

(2) Every notification issued under this section shall, as soon as may be after it is issued, be laid on the table of the Legislative Assembly and the provisions of Section 24-A of the Madhya Pradesh General Clauses Act, 1957 (No.3 of 1958) shall apply thereto as they apply to a rule.

Power to make rules.

13. (1) The State Government may make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for-

(a) the time and manner of payment of duty under Section 3;

(b) the limitations and conditions subject to which the whole or part of the duty payable in respect of each consumer may be recovered by the Distribution Licensee or Franchisee and the manner of such recovery under Section 6;

(c) the rate of and the circumstances in which interest may be charged under sub-section (1) of Section 7;

(d) the forms in which books and accounts may be kept, returns furnished and the times at which and the authorities to which such returns may be furnished under Section 8;

(e) the manner in which the generators are to be registered and the fee payable for such registration or renewal thereof;

(f) any other matter for which, no provision has been made in the Act and for which provision is, in the opinion of the State Government, necessary.

(3) Every rule made under this Section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

(4) In making a rule under sub-section (1) or sub-section (2), the State Government may provide that a breach thereof shall be punishable with a fine not exceeding five thousand rupees.

Protection of action taken in good faith.

14. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer or person empowered to exercise powers or to perform duties under this Act for anything in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Repeal and saving.

15. (1) Save as otherwise provided in this Act, the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal -

(a) any thing done or any action taken or purported to have been done or. taken including any rule, notification, inspection, order or notice made or issued or any licence, permission or exemption granted or any direction given under the repealed Act shall, in so for as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act;

(b) rules made under the repealed Act shall have effect until the rules under Section 13 are made;

(c) all directives issued before the commencement of this Act by the State Government under the repealed Act shall continue to apply until directions are issued under this Act.

SCHEDULE

[See Section 3 (1)]

PART- A

Electricity sold/supplied for the purposes as shown below :—

S. No. (1)	Consumer Category (2)	Consumed Electricity (in unit) (3)	Rate of duty in percentage of tariff per unit of electricity per month (4)
1	Domestic consumer	Upto 100 units	9 percent
		In excess of 100 units upto 200 units.	12 percent
		in excess of 200 units.	15 percent
2	Non Domestic consumer	Upto 50 units	9 percent
		In excess of 50 units.	15 percent
3	Mines (other than captive mines of cement industries.)		40 percent
4	Cement industries (including its captive mines)		15 percent
5	LT Industries		9 percent
6	Stone Crusher upto 150 HP		9 percent
7	Mini Steel Plant, Rolling Mills and Sponge Iron Plant.		9 percent
8	Power-Looms, Flour Mills, Oil expeller, thresher and similar other machinery used for agricultural processing.		9 percent
9	Textile mills, weaving mills and spinning mills		9 percent
10	H. T. Industrial and Non Industrial including shopping mall. Stone Crusher having load above 150 HP and situated outside & adjacent to the mines..		15 percent

Provided that if electricity sold or supplied for consumption for any one purpose is used either wholly or partially, without the consent of Distribution Licensee or Franchisee, as the case may be, for consumption or any other purpose for which a higher rate of duty is chargeable the entire electricity sold or supplied shall be charged at the highest rate applicable.

PART- B
[See Section 3 (2)]

11.	For consumption of electricity obtained through open access from outside the State.	The rate of duty shall be calculated as if the electricity is supplied by Distribution Licensee.

PART- C
[See Section 3 (3)]

12.	Electricity sold or supplied by Generating company, Producer and Captive Generating Plant to State owned Distribution and Trading Licensee.	5 paise per unit
13.	Electricity sold or supplied by Generating company, Producer and Captive Generating Plant to any other consumer in the State	The rate of duty shall be same as if the electricity is supplied by the Distribution Licensee to that consumer.
14.	For the electricity consumed by Captive Generating Plants, Producers or Generating Companies for their auxiliary consumption and for their own consumption.	15 percent of the tariff which would have been applicable if the electricity is supplied by Distribution Licensee.

Explanation.—For the purposes of this Schedule—

(a) "month" means such period as may be prescribed and till such period is prescribed, the billing month;

(b) "mine" means a mine to which the Mines Act, 1952 (No. 35 of 1952) applies and includes the premises or machinery situated in or adjacent to a mine and used for crushing, processing, treating or transporting the mineral;

(c) The electricity duty shall be calculated on the basis of actual percentage of tariff in a month and fraction of 50 paise and above will be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paise will be ignored;

(d) "tariff" means the rate of electricity per unit as may be determined from time to time by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission on the various categories of consumption;

(e) "category of consumer" means the category of consumer as defined in tariff order determined by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.